

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत अनुभाग-5 के पत्र संख्या-यू0ओ0-68/34/लो0शि0-5/2017 दिनांक 07.06.2017 के द्वारा काफ़ी मात्रा में लम्बित संदर्भों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर आख्या वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि गा0 मंत्रीगण/सांसद/विधायकगण एवं अन्य प्रतिनिधियों के आख्या से सम्बन्धित संदर्भों के संबंध में यह अपेक्षित है कि कृत कार्यवाही की सूचना संबंधित गा0 प्रेषकगण को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही निस्तारण आख्या को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए एवं अपलोड की गयी आख्या में यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए अन्यथा निस्तारण आख्या स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस कार्यालय के पत्र संख्या 24 दिनांक 21.06.2017 (ई-मेल से प्रेषित) जिसमें लम्बित संदर्भों की संख्या दर्शाते हुए आपसे अपेक्षा की गयी थी कि दिनांक 24.06.2017 तक प्रत्येक दशा में समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें। किन्तु आपके जोन में दिनांक 28.06.2017 तक अत्यधिक संख्या में संदर्भ लम्बित प्रदर्शित हो रहे हैं।

जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आपके जोन में संदर्भ निम्नानुसार लम्बित है।

जोन/अनुभाग का नाम	समय सीमा के पश्चात				समय सीमा के अन्दर				
	मुख्यमंत्री सन्दर्भ	आनलाइन सन्दर्भ	पी0जी0पोर्टल	योग	मुख्यमंत्री सन्दर्भ	आनलाइन सन्दर्भ	पी0जी0पोर्टल	योग	कुल योग
गाजियाबाद	2	4	0	6	0	2	1	3	9
लखनऊ	2	13	2	17	1	11	2	14	31
वाराणसी	0	1	0	1	1	0	1	2	3
कानपुर	0	0	0	0	1	1	2	4	4
बरेली	1	1	1	3	2	1	1	4	7
सहारनपुर	1	3	0	4	2	1	2	5	9
इटावा	0	1	0	1	0	0	1	1	2
झाँसी	0	4	1	5	4	4	0	8	13
अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1	1
मुरादाबाद	0	1	2	3	1	0	0	1	4
गोरखपुर	0	3	0	3	0	0	0	0	3
फैजाबाद	2	1	0	3	2	0	0	2	5
इलाहाबाद	1	1	0	2	1	0	1	2	4
नोयडा (मौतमबुद्धनगर)	1	2	0	3	0	0	0	0	3
मेरठ	0	1	1	2	2	0	0	2	4
विधि अनुभाग	0	0	0	0	1	0	1	2	2
स्था0 राज अनुभाग	7	0	0	7	9	0	0	9	16
सचलदल अनुभाग	0	0	0	0	4	0	0	4	4
जी एस टी अनुभाग	0	0	0	0	5	0	0	5	5
स्था0 अराज अनुभाग	4	0	0	4	4	1	1	6	10
अहरण वितरण अधिकारी	0	0	0	0	0	0	1	1	1
लेखा अनुभाग	1	0	0	1	0	0	0	0	1
कुल योग	22	36	7	65	40	21	15	76	141

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा IGRS से सम्बन्धित लम्बित मामलों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। जिसके लिये सचिव गा0 मुख्यमंत्री / प्रमुख सचिव वाणिज्य कर/ कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि दिनांक 29-06-2017 तक प्रत्येक दशा दोपहर 12:00 बजे तक समस्त प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें अन्यथा की दशा में दिनांक 29.06.2017 को सायं 4:00 बजे IGRS संदर्भों के निस्तारण संबंधी समीक्षा बैठक में मुख्यालय स्थित सभागार में जोन के नागित नोडल अधिकारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।


(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 प0 सं0 व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि :- 1-ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभाग की वेबसाइट की नोटिस बोर्ड तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश की विभागीय ई-मेल आई0डी0 पर अपलोड कराने हेतु।

2-समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने अनुभाग के लम्बित IGRS प्रकरणों के विवरण निर्धारित तिथि दिनांक 29.06.2017 से पूर्व आख्या पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।

3- डिप्टी कमिश्नर एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को कमिश्नर महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।